देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/jhy/02 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शुक्रवार, 18 सितम्बर 2020

जवाब दो सरकार

बनाम

राजस्थान सरकार

अलवर की जीवन रेखा समझे जाने वाले प्रेम रत्नाकर बाँध का गला घोंटने वाले अतिक्रमणों, अवैध निर्माणों को हटाने के लिए लगायी गयी जन हित याचिका

देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

बढ़ती आबादी घटते जलाशय

जवाब दो!!! सरकार

www.jawabdosarkar.com

E-Newsletter, Issued in Public Interest

राजस्थान के खूबसूरत शहर अलवर को लगी नजर

दम तोड़ता अलवर का प्रेम रत्नाकर बांध

विशेष रिपोर्ट

मास्टर प्लान 2031 के अनुसार बाँध जीवित परन्तु मौके पर गायब

तस्वीरें:- सोजन्य से patrika.com

वर्ष 1955 का रिकॉर्ड ही नहीं

पेज 1

सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

हमने उठाया था मामला

स्थानीय नागरिकों की पहल पर हमारे द्वारा अलवर स्थित प्रेम रत्नाकर बाँध में हुए अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के सम्बन्ध में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रस्तुत की गयी थी परन्तु जिला कलेक्टर महोदय और मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा दो महीनों में कोई कार्यवाही नहीं की गयी,जिससे व्यथित होकर हमें उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा|

माननीय उच्च न्यायालय ने माँगा जिम्मेदारों से जवाब

हमारी जन हित याचिका को स्वीकारते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सरकार में बैठे जिम्मेदारों अधिकारियों से एक महीने में जवाब माँगा है|गौरतलब है कि अब्दुल रहमान मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जलाशयों से अवैध निर्माण हटाने और उन्हें पूर्व स्थिति में लाने के आदेश दिए जा चुके है|परन्तु इसके बावजूद देश के हर गाँव कस्बे में आपको स्थानीय तालाबों,बांधो,नदियों के भराव क्षेत्र में ऐसे अवैध निर्माण और अतिक्रमण देखने को मिल जायेंगे|ऐसा नही है कि स्थानीय निवासियों द्वारा इसका विरोध नहीं किया जाता हो,परन्तु रसूखदारों,भू-माफियाओं,भ्रष्ट अधिकारियों और राजनेताओ की मिलीभगत से ऐसी हजारों शिकायतों को दबा दिया जाता है या फिर आवाज उठाने वालों को ही रास्ते से हटा दिया जाता है|इस मामले के कोर्ट में पेश होने के बाद हमारे पास कई लोगो के फोन आ रहे है कई समझा रहे है और कई धमका रहे है परन्तु याद रहे,हमारी आवाज दबने वाली नहीं है|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

राजस्थान पत्रिका:-दिनांक 17/09/2020 से साभार

100 बीघा से अधिक जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा

अब प्रेम रत्नाकर बांध में निर्माण नहीं होगा जिला कलक्टर व यूआईटी सचिव को नोटिस

फोलोअप

भराव क्षेत्र में बने निर्माण चिह्नित बांध में रहने वालों की नींद उड़ी

राजस्थान पत्रिका

प्रकाशित खबर

पत्रिका ने लगातार आमजन को चेताया

490 बीघा जमीन का हवाला

अलवर @ पत्रिका. शहर से लगते प्रेम रत्नाकर बांध में अब आगे निर्माण नहीं हो सकेगा। बांध के भराव व बहाव क्षेत्र में बड़ी जमीन भूमाफिया ने बेचकर अवैध निर्माण करा दिए। जिसको लेकर राजस्थान पत्रिका करीब पांच साल से आमजन को चेताता रहा है कि यह बांध का क्षेत्र है। इसमें निर्माण नहीं हो सकता। फिर भी भूमाफिया ने अधिकारियों से मिली भगत करा अवैध भूखण्ड काट दिए। जिसको लेकर उच्च न्यायालय जयपुर में जवाब दो सरकार गैर सरकारी संगठन ने जनहित याचिका दायर की। मामले की पैरवी कर रहे एडवोकेट रवि सैनी ने बताया कि बुधवार को ही न्यायालय ने आगामी चार सप्ताह में सरकार के मुख्य सचिव, जिला कलक्टर अलवर, यूआईटी सचिव अलवर व सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता को तलब होने का नोटिस जारी कर दिया है।

एनजीओ ने जनहित याचिका के आवेदन के जरिए कोर्ट को अवगत कराया किया प्रेम रत्नाकर बांध अलवर शहर की जीवन रेखा है। जहां 1997 तक बांध के जरिए शहर को पानी मिलता रहा है। लेकिन, इसके बाद अधिकारियों ने मिलीभगत करते हुए जान बूझकर बांध को सिंचाई विभाग की बजाय उमरैण पंचायत को सौंप दिया। जबकि उस समय उमरैण पंचायत का पूरा बजट ही केवल 28 लाख था और बांध करीब 4 किलोमीटर में फैला है। मतलब जानबूझकर बांध को उमरैण को सुपुर्द किया। ताकि भूमाफिया आसानी से अवैध रूप से जमीन पर भूखण्ड काट सके। इसके बाद यही हुआ। अवैध कॉलोनी काट दी। आमजन को गुमराह कर भूखण्ड बेच दिए। फिर अवैध निर्माण होते गए।

अब भी अवैध निर्माण व भूखण्ड काट रहे : इस समय भी बांध के भराव व बहाव क्षेत्र में अवैध निर्माण जारी है। भूखण्ड काटे जा रहे हैं। माफिया सक्रिय है। जबकि यहां पहले पत्रिका की खबरों के बाद कुछ दिन यूआईटी ने निर्माण कार्य रुकवाए। लेकिन, बाद में यूआईटी सुस्त हो गई। फिर निर्माण होने लग गए। बीच में एक बार तो यूआईटी ने कुछ भूखण्डों के पट्टे जारी कर दिए थे। शिकायत होने पर पट्टों को निरस्त किया गया।

राष्ट्रदूत:- दिनांक 17/09/2020 से साभार

बांध क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर जवाब मांगा

जयपुर, (का.सं.)। हाईकोर्ट ने अलवर के प्रेम रत्नागिरी बांध क्षेत्र में अतिक्रमण के मामले में मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, अलवर कलक्टर और यूआईटी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश जवाब दो सरकार एनजीओ की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता रवि सैनी ने अदालत को बताया कि यूडीएच की ओर से घोषित अलवर के मास्टर प्लान, 2031 में जगन्नाथ मंदिर के पीछे प्रेम रत्नागिरी बांध दर्शाया गया है। यह बांध पूरे शहर में पेयजल सप्लाई की क्षमता रखता है। याचिका में कहा गया कि भूमाफियाओं ने अधिकारियों की मिलीभगत से बांध क्षेत्र में अवैध रूप से

■ अलवर के प्रेम रत्नागिरी बांध क्षेत्र का मामला

निर्माण कर अतिक्रमण कर लिए हैं। याचिका में कहा गया कि हाइकोर्ट पूर्व में तय कर चुका है कि बांध के भराव क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता। वहीं हाईकोर्ट ने ही वर्ष 2018 में राज्य सरकार को आदेश जारी कर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल गठित कर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दे रखे हैं। ऐसे में बांध क्षेत्र से अतिक्रमण हटाए जाए। जिस पर खंडपीठ ने संबधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।